प्रेस विज्ञप्ति

3.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने जितेन्द्र तेजाभाई हीरागर और अन्य के विरुद्ध दिनांक 29.10.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के तहत 300 से अधिक बैंक खातों (जिनमें सट्टे, जुआ और अन्य अवैध गतिविधियों से प्राप्त अपराध की आय जमा है) में शेष राशि के रूप में 35.80 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से कुर्क कर लिए हैं। जाँच 448 बैंक खातों (प्राथमिक खातों) से शुरू हुई, जो भोले-भाले व्यक्तियों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करके खोले गए थे। इसके बाद धन के लेन-देन का पता लगाया गया और प्रथम स्तर पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन वाले 995 से अधिक बैंक खातों की जाँच की गई।

ईडी ने अहमदाबाद सिटी पुलिस की अपराध शाखा द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जितेंद्र तेजाभाई हीरागर और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि भोले-भाले लोगों के जाली दस्तावेज़ों से खोले गए बैंक खाते, सट्टेबाजी, जुए और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़े बड़े पैमाने पर बैंकिंग लेनदेन को सुगम बनाने के लिए एक सुसंगठित गिरोह के सदस्यों को सौंप दिए गए थे। इन नकली बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी और अन्य अवैध गतिविधियों के ज़रिए भोले-भाले लोगों को ठगने के लिए किया जाता था।

अवैध निधि प्रवाह का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:

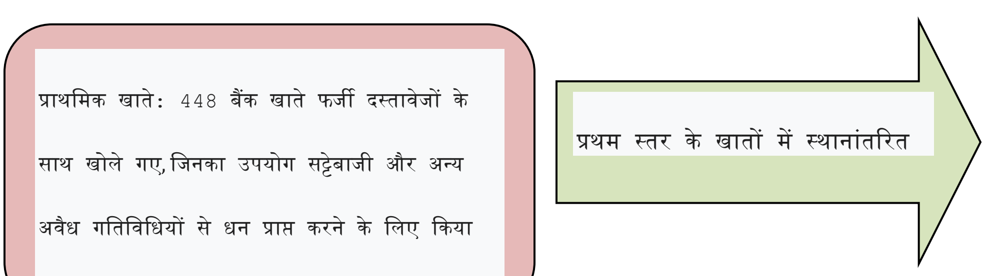

प्रथम स्तर पर 995 से अधिक बैंक खातों की जांच की गई, जिनमें 1000 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ

बाद में इसे अन्य डमी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे की जाँच जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न बैंकों के 300 से अधिक खातों में अवैध जुआ, सट्टेबाजी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों में उपलब्ध 35.80 करोड़ रुपये की राशि का पता लगाकर उसे कुर्क कर लिया है।

आगे की जाँच जारी है।